

बिहार सरकार

फॉर्म-VII

भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण-पत्र
कार्यालय का नाम: अंचल कार्यालय मांझी

प्रमाण-पत्र सं.: BOBCCO/2023/273379

दिनांक: 15/06/2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि कनिष्ठा(Kanishka), पिता का नाम- सरोज कुमार शर्मा, माता का नाम- चन्दा शर्मा, ग्राम/मोहवा- लुगुनी, पोस्ट- बरेजा, थाना- दाऊदपुर, प्रखण्ड- मांझी, अनुमंडल- सारण सदर, जिला- सारण, राज्य बिहार के हिन्दू/ मुस्लिम धर्म अन्तर्गत बड़ई(विश्वकर्मा) जाति के सदस्य है, जिसे निम्नानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

1. भारत सरकार, कानून मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/6893 बी.सी.सी. दिनांक 10-9-1983 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-186, दिनांक 13-9-1983 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
2. भारत सरकार, कानून मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/5994 बी.सी.सी. दिनांक 19-10-1984 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-183, दिनांक 20-10-1984 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
3. भारत सरकार, कानून मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/7795 बी.सी.सी. दिनांक 24-3-1985 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-89, दिनांक 25-3-1985 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
4. भारत सरकार, कानून मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/9694 बी.सी.सी. दिनांक 9-3-1996 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-60, दिनांक 10-3-1996 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
5. भारत सरकार, कानून मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/4496 बी.सी.सी. दिनांक 6-12-1995 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-210, दिनांक 11-12-1995 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
6. भारत सरकार, कानून मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/9994 बी.सी.सी. दिनांक 11-12-1997 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-236, दिनांक 12-12-1997 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
7. भारत सरकार, कानून मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/1397 बी.सी.सी. दिनांक 3-12-1997 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-230, दिनांक 17-12-1997 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
8. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/6898 बी.सी.सी. दिनांक 27-10-1999 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-243, दिनांक 27-10-1999 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
9. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/8898 बी.सी.सी. दिनांक 6-12-1999 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-270, दिनांक 6-12-1999 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
10. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/3699 बी.सी.सी. दिनांक 04-04-2000 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-71, दिनांक 04-04-2000 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
11. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/4499 बी.सी.सी. दिनांक 21-09-2000 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-210, दिनांक 21-09-2000 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
12. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/09-2000 बी.सी.सी. दिनांक 06-12-2001 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-246, दिनांक 6-12-2001 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
13. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/1-2001 बी.सी.सी. दिनांक 10-06-2003 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-151, दिनांक 20-06-2003 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
14. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/4-2002 बी.सी.सी. दिनांक 13-01-2004 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-9, दिनांक 13-01-2004 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।
15. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/14-2004 बी.सी.सी. दिनांक 12-03-2007 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण गवर्नर के पत्र-1 खण्ड-1 संख्या-67, दिनांक 12-03-2007 के आदेश में प्रमाणित किया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि कनिष्ठा एवं इनके परिवार सामान्यतः ग्राम/मोहवा- लुगुनी, पोस्ट- बरेजा, थाना- दाऊदपुर, प्रखण्ड- मांझी, अनुमंडल- सारण सदर, जिला- सारण राज्य बिहार के निवासी है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ड्रापन संख्या-36012/22/1993, स्था. (एस्.सी.टी.) दिनांक 8-9-1993, कार्यालय ड्रापन संख्या-36033/3/2004 स्था. (आ.) दिनांक 9-3-2004 एवं कार्यालय ड्रापन संख्या-36033/03/2004 स्था. (आ.) दिनांक 14-10-2008 के स्तम्भ-3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग "क्रीमी लेयर" के अन्तर्गत नहीं आते/आती है।

स्थान: मांझी

दिनांक: 15/06/2023

राजस्व अधिकारी, मांझी



QR Code की URL: <https://serviceonline.bihar.gov.in/officials/bisJoIn/DE6E6D83> से वेब पर या Play Store पर डाउनलोड ServicePlus Mobile App से करें।
नोट: यह ऑफिशियल DigiLocker पर भी उपलब्ध है।